Kharif products in the wake of flood and drught co]ndition

3360. SHRIMATI KAMLA SINHA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the prospect of Kharif Crop for the current year in view of recent flood havoc in same slates specially Punjab, Haryana etc.;

(b) whether it is a fact that a largo part of the country is passing through draught-like condition;

(c) if so, what steps Government would take to ensure Kharif production in these states; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) It is too early to indicate the Kharif crop production prospects for 1993-94. How ever, according *to* present indications available, overall prospects of Kharif crops are not expected to get affected much as the crop loss due to recent floods in Punjab, Haryana etc. is likely to get compensated by increase in other parts of the country, which had better rainfall this monsoon season so far.

(b) No, Sir. Only parts of a few States are having deficient rains.

(c) and (d) The States have been pro vided a mode! contingent plan and have been requested to prepare their own contingent plans on this basis and in consultation with their respective state Agricultural Universities.

खाद्यान्नों की खरीद

3361. **डा० नौनिहाल सिंह** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने चालू वर्ष में खाद्यान्नों की खरीद का क्या लक्ष्य रखा है और गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या लक्ष्य रखे गए थे और खरीद का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गोदामों में और ढुलाई के दौरान खाद्यान्नों की कितनी मात्रा क्षतिग्रस्त हुई और गलने-सड़ने और चूहों के कारण कितने खाद्यान्न का नुकसान हुआ और इस नुकसान से बचने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं; और

(ग) निगम द्वारा उचित दर दुकानों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को घटिया, गला-सड़ा और कूड़ा-करकट युक्त गेहूं सप्लाई किए जाने के क्या कारण हैं और जनता को अच्छी किस्म का गेहूं सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) चूंकि मूल्य समर्थन प्रणाली के अधीन केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं, धान और मोटे अनाजों की वसूली पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर की जाती है और मिल मालिकों व्यापारियों से लेवी चावल की वसूली उनके द्वारा खरीदी गई धान की मात्रा पर निर्भर करती है इसलिए गेहूं, धान और मोटे अनाजों की वसूली करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं।

विवरण–1 संलग्न है (नीचे देखिए) जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान वसूल किए गए खाद्यान्नों (गेहूं, चावल और मोटे अनाजों) की मात्रा दी गई है।

(ख) **विवरण–2** संलग्न है (नीचे देखिए) जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान मार्ग में गुम और क्षतिग्रस्त हो गए खाद्यान्नों की मात्रा दी गई है।

जहां तक खाद्यान्नों की इस प्रकार की हानियों को रोकने का संबंध है, खाद्यान्नों के स्टाक को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सड़ने नहीं दिया जाता है क्योंकि